

कार्यकारी सार

प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन और लेखों की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार और राज्य के वित्त से संबंधित अन्य मामलों का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यकारी सार इस प्रतिवेदन की सामग्री पर प्रकाश डालता है तथा महत्वपूर्ण आंकड़ों और पहलुओं के स्नैपशॉट के माध्यम से, राजकोषीय स्थिरता, बजटीय प्रयोजन के विरुद्ध निष्पादन, राजस्व एवं व्यय अनुमान, भिन्नता के कारणों और इसके प्रभाव की जानकारी प्रदान करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) (मौजूदा कीमतों पर) 9.41 प्रतिशत की औसत दर से बढ़कर 2018-19 में ₹ 6,98,940 करोड़ से 2022-23 में ₹ 9,94,154 करोड़ हो गया। राज्य का बजट परिव्यय 12.11 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़कर 2018-19 में ₹ 1,41,732.90 करोड़ से 2022-23 में ₹ 2,21,110.07 करोड़ हो गया।

2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 14.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2021-22 और 2022-23 के दौरान राजस्व प्राप्तियां 14.22 प्रतिशत की दर से बढ़ी और सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 8.97 प्रतिशत रही। इस अवधि के दौरान कर राजस्व में 16.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राज्य के स्व-कर राजस्व में 17.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हरियाणा राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम) 2021-22 में ₹ 1,10,437 करोड़ से 9.14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 1,20,533 करोड़ हो गया। इसमें से राजस्व व्यय में 2021-22 से 8.11 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। राजस्व घाटा ₹ 20,333 करोड़ से घटकर ₹ 17,212 करोड़ हो गया, जिसमें 2021-22 की तुलना में 15.35 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जबकि राजकोषीय घाटा 2021-22 में ₹ 31,778 करोड़ से थोड़ा कम होकर 2022-23 में ₹ 31,027 करोड़ हो गया, जिसमें 2.36 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

प्राप्ति-व्यय बेमेल

प्राप्तियों और व्यय के मध्य निरंतर बेमेल बढ़ते राजकोषीय दबाव को दर्शाता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसे राज्य का स्व-राजस्व, गैर-कर राजस्व, करों में राज्यों के हिस्से का अंतरण, संघ सरकार से सहायता अनुदान एवं अंतरण और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व लेखे के साथ-साथ पूंजीगत व्यय (परिसंपत्ति निर्माण, ऋण एवं अग्रिम, निवेश, आदि) पर व्यय शामिल है।

2018-19 से 2022-23 तक, राजस्व प्राप्तियां 7.49 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ ₹ 65,885 करोड़ से बढ़कर ₹ 89,194 करोड़ हो गई। इस अवधि के दौरान पूंजीगत प्राप्तियां (अर्थोपाय अग्रिम सहित) भी ₹ 39,686 करोड़ से बढ़कर ₹ 80,961 करोड़ हो गई।

राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का हिस्सा 2018-19 में 10.74 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 7.97 प्रतिशत हो गया। राज्य सरकार को वर्ष में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 2,920 करोड़ प्राप्त हुए।

राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के अवसरचना और सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होगी। 2018-19 और 2022-23 के मध्य, राजस्व व्यय ₹ 77,155 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 11.04 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 1,06,406 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 10.70 प्रतिशत) हो गया। इस अवधि के दौरान यह लगातार आठ प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ते हुए कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (82 से 93 प्रतिशत) बना रहा।

साधन से अधिक व्यय का परिणाम

राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के मध्य अंतर के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा होता है। राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2018-19 में ₹ 11,270 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.61 प्रतिशत) से बढ़कर चालू वर्ष में ₹ 17,212 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.73 प्रतिशत) हो गया।

राज्य सरकार ने पूंजीगत लेखा में ₹ 11,665 करोड़ खर्च किए। वर्ष 2022-23 में यह कुल व्यय का 9.68 प्रतिशत था। पूंजीगत व्यय कुल उधारी का केवल 14 प्रतिशत था। इस प्रकार, उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजीगत निर्माण/विकास गतिविधियों के बजाय मुख्य रूप से वर्तमान व्यय को पूरा करने और उधार के पुनर्भुगतान के लिए किया जा रहा था।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्ति के मध्य अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2018-19 में ₹ 21,912 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.14 प्रतिशत) से बढ़कर 2022-23 में ₹ 31,027 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.12 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय की प्रमात्रा सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रतिबद्ध व्यय का संसाधनों पर पहला प्रभार होता है और इसमें ब्याज भुगतान, वेतन, मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल होता है। ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय ने 2018-19 (54 प्रतिशत) और 2022-2023 (55 प्रतिशत) के दौरान राजस्व व्यय का 54-55 प्रतिशत संघटित किया। प्रतिबद्ध व्यय औसतन 8.43 प्रतिशत की दर से बढ़ा अर्थात् 2018-19 में ₹ 41,454 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 58,909 करोड़ हो गया {2021-22 (₹ 53,215 करोड़) की तुलना में 10.70 प्रतिशत की वृद्धि}।

प्रतिबद्ध व्यय के अतिरिक्त, 2018-19 से 2022-23 के दौरान अनम्य व्यय राजस्व व्यय के 5.21 प्रतिशत से बढ़कर 5.51 प्रतिशत हो गया, जो बढ़ती प्रवृत्ति का परिचायक है। अनम्य व्यय 2021-22 में 13.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 5,179 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 5,865 करोड़ हो गया।

कुल मिलाकर, 2022-23 में प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय ₹ 64,774 करोड़ था; राजस्व व्यय का 61 प्रतिशत। प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार को अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और पूंजीगत निर्माण के लिए कम नम्यता के साथ छोड़ देती है।

सब्सिडी गैर-प्रतिबद्ध व्यय का बड़ा हिस्सा है

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत, सब्सिडी पर व्यय 2018-19 में ₹ 8,549 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹ 7,650 करोड़ हो गया, 2021-22 में बढ़कर ₹ 9,535 करोड़ हो गया और 2022-23 में घटकर ₹ 9,360 करोड़ हो गया जो कि राजस्व प्राप्तियों का 10.49 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 8.80 प्रतिशत था। विद्युत के लिए: ₹ 7,066 करोड़ (75.49 प्रतिशत), कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए: ₹ 1,839 करोड़ (19.65 प्रतिशत), ग्राम और लघु उद्योग के लिए: ₹ 336 करोड़ (3.59 प्रतिशत) और सामाजिक सेवाओं के लिए: ₹ 119 करोड़ (1.27 प्रतिशत) की सब्सिडी वितरित की गई।

बजट से बाहर उधार

राज्य सरकार ने हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से 2022-23 के दौरान ₹ 22.05 करोड़ जुटाए, जिसे लेखों में राज्य सरकार की उधारी के रूप में दर्शाया नहीं गया, तथापि ऋण का पुनर्भुगतान राज्य बजट के माध्यम से किया जाना है।

गारंटियों के कारण आकस्मिक देयताएं

31 मार्च 2023 तक ₹ 23,058.07 करोड़ की कुल गारंटी में से 95.31 प्रतिशत (₹ 21,977.13 करोड़) मुख्य रूप से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (₹ 11,528.75 करोड़), हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (₹ 2,962.99 करोड़), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 5,249.21 करोड़), हरियाणा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 264.41 करोड़) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,971.77 करोड़) के संबंध में थी। 2022-23 के दौरान दी गई गारंटी के लिए सरकार द्वारा किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया।

राजकोषीय स्थिरता

राजकोषीय स्थिरता की जांच घाटे, ऋण और देयताओं के स्तर, बजट से बाहर उधार के कारण प्रतिबद्धताओं, गारंटी, सब्सिडी आदि जैसे मैक्रो-राजकोषीय मापदंडों के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व और व्यय के मध्य मेल न होने का प्रश्न है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय है, जिसमें वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज इत्यादि और अन्य अनम्य व्यय जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रतिबद्धता से सृजित होने वाले व्यय, आरक्षित निधियों में अंतरण, स्थानीय निकायों में अंतरण आदि भी शामिल हैं।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम आवश्यकताएं और राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की निश्चित प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और ऋण के लक्ष्य निर्धारित किए

गए हैं। 2022-23 में, राजस्व घाटा 0.98 प्रतिशत की आवश्यकता के विरुद्ध 1.73 प्रतिशत था; राजकोषीय घाटा 2.98 प्रतिशत की आवश्यकता के विरुद्ध 3.12 प्रतिशत था; सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए कुल बकाया देयता का अनुपात 24.52 प्रतिशत की आवश्यकता के विरुद्ध 29.48 प्रतिशत था।

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, हरियाणा सरकार का लोक ऋण 2018-19 से 2022-23 के मध्य बकाया लोक ऋण का औसतन 12.84 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ा है। हरियाणा में, ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 2018-19 में 22.44 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 27.70 प्रतिशत हो गया और 2021-22 से ऋण स्थिरीकरण (प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा प्रसार) के कारण 2022-23 में घटकर 25.68 प्रतिशत हो गया।

राज्य में 2018-19 के दौरान प्राथमिक घाटा और धनात्मक डोमर गैप है, जो दर्शाता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर पर लाना चाहिए। तथापि, 2019-20 और 2020-21 (कोविड अवधि) के दौरान डोमर गैप ऋणात्मक हो गया और प्राथमिक घाटा हुआ, जिसने दर्शाया कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में लोक ऋण स्थिर स्तर पर आए बिना बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाएगा। 2021-22 और 2022-23 के दौरान, डोमर गैप (कोविड प्रभाव से उभरा) धनात्मक हो गया और प्राथमिक घाटे में भी थोड़ा सुधार हुआ जो दर्शाता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में लोक ऋण स्थिर स्तर पर आ जाएगा। तथापि, लोक ऋण प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा उधारों के पुनर्भुगतान में उपयोग किया जा रहा था, जिसका अर्थ है कि आर्थिक विकास इतना मजबूत नहीं है कि ऋण का भुगतान किया जा सके।

जैसा कि उपर्युक्त चर्चा की गई है, विश्लेषण और परिणामों के अनुसार, हरियाणा राज्य के वित्त प्राप्ति और व्यय के मध्य निरंतर मेल न होने के कारण दबाव में है। हरियाणा में, डोमर गैप 2021-22 और 2022-23 के दौरान धनात्मक रहा, हालांकि, लोक ऋण प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा उधारों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया जा रहा था, जिसका अर्थ है कि आर्थिक विकास पर्याप्त मजबूत नहीं था।

बजट निष्पादन

कुल व्यय परिणाम

बजटीय प्रयोजन और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट निष्पादन की जांच यह आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय परिणाम किस सीमा तक अधिकता और बचत दोनों के संदर्भ में वास्तविक रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है। राजस्व भाग में, बजट अनुमान (बी.ई.) की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 9.19 प्रतिशत था। यह 12 अनुदानों में 25 प्रतिशत तक और पांच अनुदानों में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के मध्य अधिकता/बचत के कारण था। पूंजीगत भाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन 0.86 प्रतिशत था। यह पांच अनुदानों में 25 प्रतिशत तक, छः अनुदानों में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के मध्य; और छः अनुदानों में 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य अधिकता/बचत के कारण था।

व्यय संरचना परिणाम

बजट निष्पादन यह भी दर्शाता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के मध्य पुनः आबंटन ने व्यय संरचना में भिन्नता में किस सीमा तक योगदान दिया है। यह जांच अंतिम बजट और वास्तविक व्यय के मध्य भिन्नता की सीमा को दर्शाती है। राजस्व भाग में, संशोधित अनुमान (आर.ई.) की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 8.25 प्रतिशत था। यह 13 अनुदानों में 25 प्रतिशत तक और चार अनुदानों में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के मध्य अधिकता/बचत के कारण था। पूंजीगत भाग में, संशोधित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 4.88 प्रतिशत था। ऐसा 13 अनुदानों में 25 प्रतिशत तक की बचत, तीन अनुदानों में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के मध्य की बचत और एक अनुदान में 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य की बचत के कारण हुआ।

वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या उससे अधिक के 20 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 6,059.12 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं पहुंचा। चार मामलों में, ₹ 19,620.72 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ क्योंकि यह आवश्यकता (₹ 18,498.83 करोड़) से ₹ 1,121.89 करोड़ अधिक था।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन दर्शाता है कि यद्यपि वास्तविक व्यय और वास्तविक बजट के साथ-साथ वास्तविक व्यय और अंतिम बजट के मध्य विचलन 10 प्रतिशत से कम था, विभिन्न अनुदानों में 25 प्रतिशत और उससे भी अधिक तक विचलन थे। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि कई मामलों में, ऐसे अनुपूरक प्रावधान थे जहां व्यय वास्तविक अनुदान तक भी नहीं पहुंचा। ऐसे विचलनों से निपटने के लिए एक विश्वसनीय बजटीय व्यवहार अपेक्षित है।

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग उन मदों, लेन-देन और इवेंट्स को कवर करती है जो अनुपालन में अंतराल, नियमितता की कमजोरियों और उन लेखांकन अभिलेखों या समायोजन अभिलेखों की प्राप्ति में देरी से संबंधित मामलों से संबंधित हैं जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह लेखों और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मामलों जैसे कि ब्याज वाली जमा राशि के संबंध में देयता का निर्वहन न करना, उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में देरी, बैंक खातों में निधियों की पार्किंग और लेखांकन मानकों का अनुपालन पर भी प्रकाश डालता है।

अनुदान/विनियोग से अधिकता का नियमितीकरण

राज्य सरकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा विनियमित किए गए अनुदान/विनियोग पर अधिकता प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2022-23 के दौरान किसी भी अनुदान एवं विनियोग के अंतर्गत आधिक्य संवितरण का कोई मामला सामने नहीं आया। तथापि, वर्ष 2019-20 से 2021-22 से संबंधित ₹ 238.79 करोड़ के आधिक्य संवितरण को राज्य विधानमंडल द्वारा अभी तक विनियमित नहीं किया गया है।

भारत सरकार लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत सरकार लेखांकन मानकों (आईजीएएस) की आवश्यकताओं के विपरीत, राज्य सरकार ने भारत सरकार लेखांकन मानक-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम का अनुपालन नहीं किया क्योंकि ऋण एवं अग्रिम के अंतिम शेष का ऋण लेने वाली संस्थाओं द्वारा समाधान नहीं किया गया था।

एकल नोडल एजेंसी को निधियां

भारत सरकार और राज्य सरकार ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन और निधि प्रवाह के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) की प्रणाली शुरू की है। भारत सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा सरकारी खाते के बाहर एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में अंतरित किया जाता है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की एकल नोडल एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार को अपने खजाना खातों में वर्ष के दौरान केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 2,737.87 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने खजाना खातों में प्राप्त केंद्र का हिस्सा ₹ 3,018.71 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹ 3,168.11 करोड़ एकल नोडल एजेंसी को अंतरित कर दिया। 31 मार्च 2023 तक, एकल नोडल एजेंसी के बैंक खातों में ₹ 2,378.76 करोड़ बिना खर्च किए पड़े थे।

तथापि, राज्य सरकार ने सूचित किया कि उसे वर्ष के दौरान केंद्र का हिस्सा ₹ 3,034.10 करोड़ प्राप्त हुआ था और वर्ष के दौरान केंद्र का हिस्सा ₹ 3,034.10 करोड़, राज्य का हिस्सा ₹ 3,183.57 करोड़ एकल नोडल एजेंसी को अंतरित कर दिया गया था। ₹ 6,217.67 करोड़ के कुल अंतरण में से, ₹ 425.42 करोड़ सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से, ₹ 4,847.48 करोड़ सहायतानुदान बिलों के माध्यम से और ₹ 944.77 करोड़ पूरी तरह से प्रमाणित आकस्मिक बिलों और अन्य श्रेणी के बिलों के माध्यम से अंतरित किए गए। वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज एकल नोडल एजेंसी से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए थे। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की एकल नोडल एजेंसी रिपोर्ट के आंकड़ों और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मध्य अंतर का समाधान करना अपेक्षित है।

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

निर्धारित समय अवधि के भीतर सहायता अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बावजूद 31 मार्च 2023 तक ₹ 17,976.65 करोड़ के 2,660 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित थे।

सार आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल

इसी प्रकार, सार आकस्मिक (एसी) बिलों के माध्यम से आहरित अग्रिम धन के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2023 तक ₹ 305.73 करोड़ के 715 सार आकस्मिक बिल विस्तृत आकस्मिक बिल के विरुद्ध जमा करने के लिए लंबित थे, जिनमें से ₹ 25.34 करोड़ की राशि के 223 सार आकस्मिक बिल 2021-22 तक की अवधि से संबंधित थे।

प्रचलित नियमों और संहिता प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में नियंत्रण और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए है। गैर-अनुपालन और विचलन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत न करना; सार आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत न करना; भारत सरकार लेखांकन मानक-3 का अनुपालन न करना; और एकल नोडल एजेंसी से व्यय के विवरण की आपूर्ति न होने से खातों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली

31 मार्च 2023 तक, हरियाणा में 37 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एसपीएसई) थे, जिनमें दो सांविधिक निगम और 29 सरकारी कंपनियां (तीन निष्क्रिय सरकारी कंपनियों सहित) और छः सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, जिनके 62 खाते बकाया थे, द्वारा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन नहीं किया गया था। 19 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा अर्जित ₹ 1,049.20 करोड़ के कुल लाभ में से 66.16 प्रतिशत का अंशदान केवल तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा किया गया था। 11 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा उठाई गई ₹ 51.05 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 23.68 करोड़ (46.39 प्रतिशत) और ₹ 21.43 करोड़ (41.98 प्रतिशत) की हानि क्रमशः अन्य क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों और सेवा क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से संबंधित थी। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय विवरणों पर अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के दौरान जारी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 55.71 करोड़ और वित्तीय स्थिति पर ₹ 4,254.96 करोड़ था।

राज्य सरकार अपने वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन पर दबाव डाले। अंतिमकृत खातों के अभाव में, ऐसे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है। राज्य सरकार घाटे में चल रहे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, जिनकी निवल संपत्ति समाप्त हो गई है, में घाटे के कारणों का भी विश्लेषण करे और उनके संचालन को कुशल एवं लाभदायक बनाने के लिए ठोस कदम उठाए।